छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण कमांक 945/2007</u>

1.	**श्री राजेश बिस्सा,** **21, सेन्ट्रल ऐवेन्यू (वेस्ट),** **चौबे कालोनी, रायपुर (छत्तीसगढ़)**	–	*शिकायतकर्ता*

विरूद्ध

1.	***जन सूचना अधिकारी*** **कार्यालय प्रमुख अभियंता,** **लोक निर्माण विभाग,** **रायपुर (छत्तीसगढ़)**	–	*अनावेदक*

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 25 जून, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्री राजेश बिस्सा द्वारा दिनांक 01.09.2007 को सूचना माँगी गई थी, जिसे प्रथम अपील के बाद दिनांक 04.12.2007 को उपलब्ध कराई गई, शिकायतकर्ता ने 65 दिवस के विलंब के लिए शास्ति लगाने के संबंध में आयोग के समक्ष दिनांक 07.12.2007 को यह शिकायत प्रस्तुत की है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में जन सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 19.03.2008 को जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 12.06.2008 को प्रस्तुत किया गया । उत्तर में उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में शुल्क जमा कराने के लिए लिखा गया था, किन्तु बाद में नि:शुल्क देने के लिए पत्र प्राप्त हुआ तो 62 पृष्ठ की जानकारी दिनांक 18.10.2007 को प्रदान की गई, उसके बाद अप्रमाणित प्रतियाँ के बारे में लिखे जाने पर श्री पी0एस0 गुप्ता, मानद सलाहकार को लिखा गया था और फिर 133 पृष्ठ की प्रमाणित जानकारी दिनांक 05.11.2007 को पुनः उपलब्ध कराई गई । जन सूचना अधिकारी ने अपने उत्तर में यह भी बताया कि तत्कालीन जन सूचना अधिकारी अब सेवानिवृत्त हो चुके है और जानकारी वृहत्‌ स्वरूप की थी, जिसे संकलित करने में समय लग गया और जानबूझकर परेशान करने की नियत नही थी । उपरोक्त स्थिति को

देखते हुए उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर संतोषप्रद मान्य किया जाकर कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है । फिर भी विलंब के कारण शिकायतकर्ता को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 250/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में शिकायतकर्ता को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त शिकायत प्रकरण का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त